प्रतिलिपि आदेश

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर

प्रकरण कमांक : 11 /03–04/ 172 (1)

प्रधान प्रतिलिपिकार
कार्यालय कलेक्टर
जिला ग्वालियर (म०प्र०)

कामदगिरि शिक्षा एवं सामाजिक संस्थान,
15/232 चेतना बिल्डिंग कानपुर
द्वारा: उपाध्यक्ष श्री बैजनाथ सिंह सिकरवार
पुत्र श्री एम.एस. सिकरवार नि. माधौनगर,
ग्वालियर (म.प्र.)

......प्रार्थी

विरूद्ध

म.प्र. शासन

.....प्रतिप्रार्थी

आदेश पारित दिनांक 16/2/04

( म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अन्तर्गत )

आवेदक संस्था कामदगिरि शिक्षा एवं सामाजिक संस्थान 15/282 बिल्डिंग कानपुर द्वारा उपाध्यक्ष श्री बैजनाथ सिंह सिकरवार निवासी माधौनगर द्वारा ग्राम केदारपुर प.ह.नं. 43 तहसील एवं जिला ग्वालियर के सर्वे कमांक 132 रकबा 1.097 है., 133 रकबा 0.125 है., 134 रकबा 0.115 है., 135 रकबा 0.034 है. एवं 136 रकबा 1.588 है में से सर्वे कमांक 136 में से 45000 वर्गफुट पर शैक्षणिक संस्थान निर्माण हेतु तथा शेष सर्वे कमांकों के कुल रकबा में से 1,12,500 वर्गफुट पर आवासीय डायवर्सन हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष म.प्र. भू–राजस्व संहित 1959 की धारा 172 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है ।

विशेष कर्तव्य अधिकारी डायवर्सन से प्रकरण में प्रतिवेदन लिया गया । इनके द्वारा प्रतिवेदित किया है कि सर्वे कमांक 132 , 133, 134, 135 एवं 136 में डायवर्सन की अनुमति दी जा सकती है।

प्रकरण में संलग्न समस्त अभिलेख का परीक्षण किया गया । सर्वे कमांक 132, 133, 134 , 135 एवं 136 के कुल रकबा में से 1,12,500 वर्गफुट पर आवासीय उपयोग हेतु तथा सर्वे कमांक–136 के कुल रकबा में से 45000 वर्गफुट पर शैक्षणिक संस्थान के निर्माण हेतु डायवर्सन की अनुमति निम्न शर्तों के आधार पर

(1) आवेदक संस्था परिवर्तित भू–राजस्व रूपये 27,575.00 वार्षिक वर्ष 2003–2004 से तथा प्रीमियम राशि रूपये 1,88325.00 15 दिवस में शासकीय कोष में जमा करें ।

(2) स्थल पर लोक न्यूसेन्स की गतिविधियाँ वर्जित हैं, तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का सन्तुलन बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक संस्था की होगी ।

(3) आवेदक संस्था के लिए म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा म.प्र. भू विकास नियम 1984 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

(4) आवेदक संस्था नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा अभिन्यास स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य प्रारंभ करे ।

(5) स्वत्व सम्बन्धी विवाद होने पर दी गई डायवर्सन की अनुज्ञा निरस्त मानी जावेगी ।

(6) आवेदक संस्था निर्माण पूर्व अन्य संबंधित विभागों से भी आवश्यक रूप से अनुमति प्राप्त करें ।

उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन पर डायवर्सन की अनुमति निरस्त की जावेगी ।

हस्ता० अंग्रेजी

अनुविभागीय अधिकारी
ग्वालियर

सत्य प्रतिलिपि

आवदन पत्र प्राप्ति का दिनांक ...19/[illegible]/[illegible]
क्रमांक ....426....
दिनांक [illegible] आवेदन कर्ता के उपस्थित होने के लिए [illegible] 21/2/04
दिनांक [illegible] आवेदन कर्ता उपस्थित हुआ ......
दिनांक [illegible] आवेदन-पत्र ( [illegible] या शुद्ध– [illegible] को
20/2/04
5 [illegible]
[illegible] 20/2/04
7 [illegible]
8 दिनांक [illegible]
का [illegible] 20/2/04
9 दिनांक [illegible]
10 दिनांक [illegible] की
गई.......... 200
[illegible] न्यायालय शुल्क....